07/24 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी थी, रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुख्य रूप से वादी का वाद नाम दुरूस्तीकरण का है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के अनुसार खातेदार का सही व शुद्व नाम महावीर पि. भगुताराम होना बताया गया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के वादी का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट की श्रेणी में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम चला की ढाणी के खाता संख्या 94, 98, 99, 151 में दर्ज महावीर पुत्र भगुता, महावीर पुत्र भगूराम के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र भगूताराम जाति गुर्जर दर्ज किया जावें। आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर् हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner